



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 29 अप्रैल, 2017 / 09 वैशाख, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अप्रैल, 2017

संख्या: एल0सी0डी0-बी0(1)-15/2016.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में उप-निदेशक (भाषा), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, उप-निदेशक (भाषा), वर्ग—I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियाँ.**—(1) अधिसूचना संख्या: एल0सी0डी0-बी0(1)-4/2011 तारीख 1 अक्टूबर, 2012 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, उप-निदेशक (भाषा), वर्ग—I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
(अनुराधा ठाकुर),
प्रधान सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति)।

उपाबन्ध—“क”

हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में उप-निदेशक (भाषा), वर्ग—I (राजपत्रित) के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**—उप-निदेशक (भाषा)
2. **पद (पदों) की संख्या.**—1 (एक)
3. **वर्गीकरण.**—वर्ग—I (राजपत्रित)
4. **वेतनमान.**— (i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैंड : ₹15600—39100 जमा ₹ 5400/— (ग्रेड पे) ।

(ii) संविदा कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां: स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 21000/—प्रतिमास।

5. **“चयन” पद अथवा “अचयन” पद.**—चयन।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**— 18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेदित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणः—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:—(क) अनिवार्य अर्हता(ए):—किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पचास प्रतिशत अंको सहित संस्कृत या हिन्दी में स्नातकोत्तर की उपाधि।

(ख) वांछित अर्हता (ए):—(i) हिन्दी/संस्कृत में पी0एच0डी0 की उपाधि या हिन्दी, संस्कृत, पहाडी संस्कृति या उर्दू में सृजनात्मक या अनुसंधान कार्य अवश्य प्रकाशित किया हों।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं:—आयु:—लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं:—लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:—(i) सीधी भर्ती की दशा में:—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवावृत्ति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेदन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

(ii) प्रोन्नति की दशा में:—दो वर्ष या एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रोन्नति की दशा में पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति /सैंकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा; ऐसा न होने पर सैंकेण्डमैंट आधार पर।

11. प्रोन्नति/सैंकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैंकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा:—सहायक निदेशक (भाषा) एवं सहायक निदेशक (अभिलेखागार) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर इस पद के या हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में समरूप वेतनमान में कार्यरत सदृश पद के पदधारियों में से सैंकेण्डमैंट आधार पर:

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी पारस्परिक प्रवर्ग बार वरिष्ठता को छोड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्वधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो तथापि, पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति की दशा में लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I :—उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में “कार्यकाल” से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II :—उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्रों निम्न प्रकार से होंगे:—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरु के काठवाड़ और कोरगा पटवार-वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार-वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार-वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार-वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गुशैणी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढढ़ पटवार-वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार-वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार-वृत्त।

स्पष्टीकरण-III.—उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।
- (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ बैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों। या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ बैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपरोक्त यथानिर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना:—(क) पदोन्नति हेतु:—विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।

(ख) स्थायीकरण हेतु:—जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा:—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश

लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा/शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी।

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के अधीन उप निदेशक (भाषा) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना:—प्रधान सचिव/सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त उप-निदेशक (भाषा) को ₹21,000/—की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹630/— की रकम (पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—प्रधान सचिव/सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, ऐसा करना आवश्यक समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाएगी।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 21000/—की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 630/—(पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों)की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामुहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा के नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—“ख”

.....और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री श्री
..... निवासी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रथम पक्षकार” कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य हिमाचल प्रदेश जिसे इसमें इसके पश्चात् “द्वितीय पक्षकार” कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख को किया गया।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 21,000/— प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला, पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा/होगी।

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा। जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप **प्रथम पक्षकार** और **द्वितीय पक्षकार** के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने/अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.

 (नाम व पूरा पता)
2.

 (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.

 (नाम व पूरा पता)
2.

 (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. LCD-B(1)-15/2016 dated 07-04-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.*]

LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 7th April, 2017

No. LCD-B(1)-15/2016.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules, for the post of **Deputy Director (Language), Class-I** (Gazetted) in the Department of Language, Art and Culture, Himachal Pradesh, as per **Annexure-“A”** attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Language, Art & Culture, Department, Deputy Director (Language), Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Language, Art & Culture, Deputy Director (Language), Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2012, notified *vide* notification No.LCD-B(1)- 4/2011 dated 01-10-2012 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,
(ANURADHA THAKUR),
Principal Secretary (LAC).

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR (LANGUAGE), CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF LANGUAGE, ART & CULTURE, HIMACHAL PRADESH

- 1. Name of the Post.**—Deputy Director(Language)
- 2. Number of Post(s).**—1 (One)
- 3. Classification.**—Class-I (Gazetted)
- 4. Scale of Pay.**—(i) Pay band for regular incumbents(s): ₹15600-39100+ ₹ 5400 Grade Pay.
(ii) Emoluments for contract employees: ₹21,000/- as per details given in Col. No. 15-A

5. Whether “Selection” post or “Non Selection” post.—Selection**6. Age for direct recruitment.—**18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of the all Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note:—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum Educational and other Qualifications required for direct recruits(s).—
*Essential Qualifications:—*Master’s Degree in Sanskrit or Hindi with 50% marks from a recognized University.

Desirable Qualifications:—(i) Ph.D. Degree in Hindi/Sanskrit or must have published creative or research works in Hindi, Sanskrit, Pahari, Culture or Urdu.

(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications(s) prescribed for direct recruits(s) will apply in the case of the promotee (s).—*Age:—* Not Applicable.

*Educational Qualifications(s):—*Not Applicable.

9. Period of Probation, if any.—(i) *Direct Recruitment.*—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

(ii) *Promotion:—*Two years or the period of probation prescribed for the direct recruitment to the post, if any, in the case of promotion from one group to another.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of posts(s) to be filled in by various methods.—100% by Promotion failing which by direct recruitment on a regular basis, or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion/Secondment/transfer grade(s) from which promotion/ secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Assistant Director (Language) & Assistant Director (Archives) having three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post or analogous post working in the identical pay scale from other H.P. Government Departments:

Provided that for the purpose of promotion, a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service without disturbing their cadre wise inter-se-seniority shall be drawn.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that officers/officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such areas strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I:—For the purpose of proviso (I) supra, the “term” in Tribal/Difficult/Hard areas/ remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II :—For the purpose of proviso (I) supra, the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba Division.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchyat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pragna of Kullu District.
6. Bara Bhargal area of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnour.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaldh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussani, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowaki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chnul, Kalipur, Mangarh, Thach Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation- III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—

- (i) All stations beyond the radius of 20Kms, from sub Division/Tehsil headquarter.
- (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3(three) Kms.
- (iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in according with the provision of R& P Rules:

- (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on *adhoc* basis followed by regular services /appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotions Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents (s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of Seniority there under.

(ii) Similarly , in all cases of confirmation, continuous *adhoc* Services rendered on the feeder post, if any prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *adhoc* appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.—(a) *For promotion*:—D.P.C. to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.

(b) *For confirmation*.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct Recruitment.—A Candidate for appointment to any service or Post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other Recruiting agency/ authority as the case may be, so considers necessary or expedient, on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc., of which, will be determined by the Commission /Other recruiting agency/authority, as the case may be.

15.A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:—(a) Under this policy the **Deputy Director (Language)** in the Department of Language, Art and Culture, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extended on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period year on to year basis, the concerned Head of Department (HOD) shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed /extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Principal Secretary / Secretary (LAC) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis, will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with eligibility conditions prescribed in these rules;

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Principal Secretary / Secretary (LAC) to the Government of Himachal Pradesh appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.21,000/-P.M.(which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay).An amount of Rs.630/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year (s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Principal Secretary / Secretary (LAC) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard /syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency. i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEES:—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure “B” appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITION:—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount i.e. @ Rs.21,000 /- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.630/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior selection scales etc. will be given.

(b) The service of Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The Contract Appointee will be entitled for one-day casual leave after putting in one- month service. However, the contract employees will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 5 days Special Leave and 10 days Medical Leave. A female contract appointee shall also be entitled for Maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No Leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the Calendar year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks

will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled casts/Scheduled Tribes/Other Backward classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental examination.—Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) of post(s).

ANNEXURE “B”

**FORM OF CONTRACT/ AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN _____
AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH _____**

This agreement is made on this.....day of.....in the year.....between Sh./Smt..... S/o/D/o Shri..... r/o..... Contract appointee (here-in-after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through _____(here-in-after referred to the SECOND PARTY). Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a _____ on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a _____ for a period of one year commencing on day of and ending on the day of..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the _____ FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary:

Provided that for extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of The FIRST PARTY will be Rs..... per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. Contractual will be entitled for one-day's casual leave after putting in one-month service. However, the contract employees will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 5 days Special Leave and 10 days Medical Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No Leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the Calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to his/ her regular counterpart official at the minimum of pay scale.
9. The Employee Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual employee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNEES :

1.

.....

.....

(Signature of the First Party)

(Name and full address)

2.

.....

.....

(Name and full address)

(Signature of the Second Party)

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 7 अप्रैल, 2017

संख्या: एल0सी0डी0-बी0(1)-12/2016.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में **सहायक निदेशक (अभिलेखागार), वर्ग-II** (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, सहायक निदेशक (अभिलेखागार), वर्ग-II (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियाँ.—(1) अधिसूचना संख्या: एल0सी0डी0-ए0-(3)-7/2010-पीटी तारीख 24-8-2012 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में सहायक निदेशक (अभिलेखागार), वर्ग-I (राजपत्रित), पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति, नियम 2012 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
(अनुराधा ठाकुर),
प्रधान सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति)।

हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में सहायक निदेशक (अभिलेखागार), वर्ग—II (राजपत्रित) के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम.—

1. पद का नाम.—सहायक निदेशक (अभिलेखागार)
2. पद (पदों) की संख्या.—1 (एक)
3. वर्गीकरण.—वर्ग—II (राजपत्रित)
4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे—बैंड.— ₹10300—34800 जमा ₹ 5000 /— ग्रेड पे।
(ii) संविदा कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां.—स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 15300 /—प्रतिमास।
5. “चयन” पद अथवा “अचयन” पद.—चयन।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेदित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हता(ए).—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आधुनिक इतिहास में द्वितीय श्रेणी में एम0 ए0।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभिलेखागार में डिप्लोमा।

(ख) वांछनीय अर्हता (ए).—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.—आयु.—लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं.—जैसा स्तम्भ संख्या 7 (क) में विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—(i) सीधी भर्ती की दशा में.—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवावृत्ति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमलेन पर कोई परिवीक्षा लागू नहीं होगी।

(ii) प्रोन्नति की दशा में.—दो वर्ष या एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रोन्नति की दशा में पद पर सीधी भर्ती के पद के लिए विहित परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।

10. भर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति /सैंकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैंकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में व श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैंकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.—तकनीकी सहायकों (अभिलेखागार) में से प्रोन्नति द्वारा, जो स्तम्भ संख्या 7(क) के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों तथा जिनकी विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कनिष्ठ तकनीकी सहायकों (अभिलेखागार) में से प्रोन्नति द्वारा, जो स्तम्भ संख्या 7(क) के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों तथा जिनका शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) तथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) के रूप में संयुक्ततः बारह वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित बारह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी। ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, दोनों के न होने पर, अन्य सरकारी विभागों में समरूप वेतमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैंकेण्डमैंट आधार पर।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्वधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो तथापि, पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति की दशा में लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.—उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में “कार्यकाल” से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए; साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II—उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्रों निम्न प्रकार से होंगे:—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।
3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरु के काठवाड़ और कोरगा पटवार-वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार-वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार-वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार-वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गुशैणी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पटवार वृत्त पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढढ़ पटवार-वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू आरै दक्षिणी मगरू पटवार-वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार-वृत्त।

स्पष्टीकरण-III—उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।
- (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
- (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ बैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों। या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ बैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपरोक्त यथा निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा/शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/ प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी।

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में सहायक निदेशक (अभिलेखागार) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर आगे विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.—प्रधान सचिव/सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार से रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक निदेशक (अभिलेखागार) को ₹ 15300/— प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 459/— (पद के बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—प्रधान सचिव/सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा/शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरणा अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाएगी।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 15300/— प्रतिमास की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 459/— (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू नहीं होंगे संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामुहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—“ख”

.....और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री श्री
निवासी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रथम

पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य हिमाचल प्रदेश जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा आरंभ आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 15300/-रुपए की प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला, पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा/होगी।

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा। जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को आपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.
.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.
.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. LCD-B(1)-12/2016 dated 07-04-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 7th April, 2017

No. LCD-B(1)-12/2016.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal

Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules, for the post of **Assistant Director (Archives), Class-II** (Gazetted) in the Department of Language, Art and Culture, Himachal Pradesh, as per Annexure-“A” attached to this notification, namely.—

1. Short title and commencement1.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Language, Art & Culture, Department, Assistant Director (Archives), Class-II (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings (1) The Himachal Pradesh Department of Language, Art & Culture, Assistant Director (Archives), Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2012 notified vide notification No. LCD-A(3)- 7/2010 dated 24-08-2012 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,
ANURADHA THAKUR,
Principal Secretary (LAC).

ANNEXURE-“A”

Recruitment and Promotion Rules for the Post of Assistant Director (Archives) Class-II (Gazetted) in the Department of Language, Art & Culture, Himachal Pradesh.

- 1. Name of the Post.**—Assistant Director (Archives)
- 2. Number of Post.**— One (1)
- 3. Classification.**—Class-II (Gazetted)
- 4. Scale of Pay.**—(i) Pay Band for regular incumbents: Rs. 10300-34800+ 5000 (Grade Pay)
(ii) Emoluments for contract employees: Rs 15300/- as per details given in Col. No. 15-A
- 5. Whether “Selection” post or “Non Selection” post.**—Selection
- 6. Age for direct recruitment.**—18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *adhoc* or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such *adhoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes /Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who were/are finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) *Essential Qualification(s).*—(i) M.A. second division in Modern History from a recognized University.

(ii) Diploma in Archives from a recognized University / Institute.

(b) Desirable Qualifications(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications(s) prescribed for direct recruits(s) will apply in the case of the promotee(s).—Age.—Not Applicable

Educational Qualification(s).—As prescribed against Column No. 7 (a)

9. Period of Probation, if any.—(i) *Direct Recruitment.*—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, reemployment after superannuation and absorption.

(ii) *Promotion.*—Two years or the period of probation prescribed for the direct recruitment to the post, if any, in the case of promotion from one group to another.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of posts(s) to be filled in by various method.—100% by promotion, failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer grade(s) from which promotion/ secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst Technical Assistants (Archives) possessing educational qualification prescribed for direct recruitment against Column No. 7 (a) with 9 (nine) years regular service or regular combined with continuous adhoc

service rendered, if any, in the grade after acquiring the prescribed educational qualification failing which by promotion from amongst the Junior Technical Assistants (Archives) possessing educational qualification prescribed for direct recruitment against Column No. 7 (a) with 12 (twelve) years regular service or regular combined with continuous adhoc service combined as Technical Assistant (Archives) and Junior Technical Assistant (Archives), which shall include two years essential service as Technical Assistant (Archives) after acquiring the prescribed educational qualification failing which by direct recruitment, failing by both on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in identical pay scale from other Government Departments.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less services, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such, areas strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation- I.—For the purpose of proviso (I) supra the “term” in Tribal/Difficult/Hard areas/ remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation- II.—For the purpose of proviso (I) supra the tribal/Difficult Areas shall be as under.—

1. Distric Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba Division
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub Division
4. Pandrah Bis Pargana, Munish, Darkali and Gram Panchyat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Paragana of Kullu District
6. Bara Bhargal area of Baijnath Sub Division of Kangra District
7. District Kinnour
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussani, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowaki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chnul, Kalipur, Mangarh, Thach Bagra,

North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation- III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under.—

- (i) All stations beyond the radius of 20Kms, from sub Division/Tehsil headquarter.
- (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3(three) Kms.
- (iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(I) In all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in according with the provision of R& P Rules:

- (i) Provided that In all cases where a Junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on *adhoc* basis followed by regular services /appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the Junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotions Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents (s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

- (ii) Similarly , in all cases of confirmation, continuous *adhoc* service rendered on the feeder post, if any prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into accounts towards the length of service, if the *adhoc* appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account *adhoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Department Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct Recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other Recruiting agency/authority as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc., of which, will be determined by the Commission /Other recruiting agency/authority, as the case may be.

15.A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below.—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Assistant Director (Archives) in the Department of Language, Art and Culture, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned Head of Department (HOD) shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed /extended.

(b) *POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.*—The Principal Secretary / Secretary (LAC) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with eligibility conditions prescribed in these rules;

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Director (Archives) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.15300/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs.459/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary/ Secretary (LAC) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard /syllabus etc. of which

will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEES.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure “B” appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITION.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount i.e. @ Rs.15300 /- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.459/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

(b) The service of Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found to be satisfactory.

(c) The Contract Appointee will be entitled for one-day casual leave after putting in onemonth service. However, the contract employees will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 5 days Special Leave and 10 days Medical Leave. A female contract appointee shall also be entitled for Maternity Leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No Leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the Calendar year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government./Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to their regular counterpart at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled casts/Scheduled Tribes/Other Backward classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) of post(s).

ANNEXURE “B”

FORM OF CONTRACT/ AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN _____ AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH _____

This agreement is made on this.....day of.....in the year.....between Sh./Smt.....S/o/D/o Shri.....r/o.....Contract appointee (here-in-after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through_____ (here -in-after called the SECOND PARTY). Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as..... on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a _____ for a period of one year commencing on day of and ending on the day of..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the_____FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* on_____and information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period, the HOD shall issue a certificate that service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of The FIRST PARTY will Rs..... per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. Contractual will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service However, the contract employees will also be entitled for 135 days

Maternity Leave, 5 days Special Leave and 10 days Medical Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No Leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave can be accumulated up to the Calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart at the minimum of pay scale.
9. The employee Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual employee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNEES :

1

 (Name and full address)

(Signature of the First Party)

2.

 (Name and full address)

(Signature of the Second Party)

PERSONNEL DEPARTMENT
Appointment-II

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 17th April, 2017

No.Per(AP.B)B(15)-5/2014.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to order to discontinue/dispense with the process of holding interviews in respect of direct recruitment for making recommendations for Class-III and IV posts/services under the State Government with immediate effect. The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to order that the selection to all Class-III and IV posts/services under the State Government shall be made on the basis of merit of written examination or prescribed educational qualification followed by evaluation, based on the following parameters:

		for Class-III posts	for Class-IV posts
	Written Test	85 marks	---
i)	Weightage for the minimum educational qualification as per the Recruitment & Promotion Rules. {Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualifications, he/she will be allowed 1.25 marks (50 X 0.025 = 1.25)}	2.5 (two & a half)	Percentage of marks obtained in qualifying examination to be calculated out of 85. For example, a candidate getting 50% marks in Matric will be given 42.5 marks.
ii)	Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be	1 (one)	1 (one)
iii)	Land less family/ family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority	1 (one)	2 (two)
iv)	Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi Government.	1 (one)	2.5 (Two & a half)
v)	Differently abled persons with more than 40% impairment/ disability/ infirmity	1 (one)	1 (one)
vi)	NSS (atleast one year) certificate holders in NCC/ The Bharat Scout and Guide. Medal winner in National level sports competitions	1 (one)	1 (one)
vii)	BPL family having family annual income (from all sources) below 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time.	2 (two)	2.5 (Two & a half)

viii)	Widow/divorced/destitute/single woman.	1 (one)	1.5 (one & a half)
ix)	Single daughter/Orphan	1 (one)	1 (one)
x)	Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/ Institution.	1 (one)	-----
xi)	Experience upto a maximum of 5 years in Govt./semi-Govt. organisation relating to the post applied for (0.5 mark only for each completed year).	2.5 (two and a half)	2.5 (two and a half)
	Pro-rata weightage for more/less than 15% interviews marks at present will be given accordingly.		

2. Where skill test and physical test, different from the personal interview, are the requirement/essentiality of recruitment process, these tests shall continue and only be of qualifying nature.

3. For already notified vacancies by the recruiting authorities prescribing personal interview, which have not been completed as yet, either the posts shall be re-advertised to the extent of dispensing with the personal interview and parameters as above may be adopted OR selection process shall be completed by 31-05-2017 by the respective recruiting authorities. In case(s) where advertisement for filling up of vacancies has been issued by the recruiting agencies but the written examination hasn't been held in such cases, the recruiting agencies will issue supplementary advertisement immediately clarifying that after written examination no interview will be held and the above parameters will be applicable for selection.

4. For isolated/specific post(s), if any, for which personal interview is considered absolutely essential, the prior concurrence of Department of Personnel and Finance Department shall be obtained.

By order,
V. C. PHARKA,
Chief Secretary.

PERSONNEL DEPARTMENT
Appointment-II

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 25th April, 2017

No.Per(AP.B)B(15)-5/2014.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to order that under the Recruitment and Promotion Rules in respect of Class-III and IV posts/services under the State Government where presently a provision of interview exists, the interviews process will not imply viva-voce or evaluating the personality of the incumbent. The selection to those Class-III and IV posts/services shall be made on the basis of merit of written examination or prescribed educational qualification followed by evaluation, by verifying the original documents/credentials only based on the parameters devised in the notification of even number dated 17-04-2017.

2. The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to order that the concerned Department(s) will simultaneously initiate the process of carrying out amendment immediately in such Recruitment and Promotion rules in respect of Class-III and IV posts/services in consonance with the provisions of notification dated 17-04-2017 prescribing the evaluation criteria based upon pre-defined parameters.

By order,
V. C. PHARKA,
Chief Secretary.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 अप्रैल, 2017

संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ(10)-16/2014.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ(5)-4/2005 तारीख 02 दिसम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 07 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए नियम बनाते हैं, अर्थात्.—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये नियम, राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 75 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 75 के उप-नियम (1) में,—

(क) खण्ड (i) में "पाँच" शब्द के स्थान पर "दस" शब्द रखा जाएगा।; और

(ख) खण्ड (ii) में "पाँच" शब्द के स्थान पर "दस" शब्द रखा जाएगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-16/2014 dated 27/04/2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th April, 2017

No. EXN-F(10)-16/2014.—In exercise of the powers conferred by section 63 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No.12 of 2005), the Governor of Himachal

Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 notified *vide* this Department Notification No. EXN-F(5)-4/2005 dated 2nd December, 2005 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra ordinary) dated 7th December, 2005, namely.—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Fourth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 75.—In rule 75 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, in sub-rule (1),-

- (a) in clause(i), for the word "five", the word "ten" shall be substituted.;
- (b) in clause (ii), for the word "five", the word "ten" shall be substituted.

By order,
Sd/-
Principal Secretary(E&T).